

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0- 50/2023-24

-:आदेश:-

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बलियापुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, बलियापुर के पत्रांक- 692, दिनांक- 04.07. 2023 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक 1. नारायण चन्द्र महतो, पिता- स्व0 पवन महतो, 2. हरे कृष्ण महतो, पिता- स्व0 पवन महतो, दोनो साकिम- पहाड़पुर, पो0+ थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद अपनी जमीन मौजा- भिखराजपुर, मौजा नं0- 180, गत् खाता सं0- 36, गत प्लॉट सं0- 01, हाल खाता सं0- 212, हाल प्लॉट सं0- 06, रकवा- 70 डिसमील एवं हाल प्लॉट सं0- 12, रकवा- 43.20 डिसमील भूमि क्रेता तारा देवी, पति- इन्द्रजीत महतो, पिता- उमाचरण महतो, साकिम- पहाड़पुर, थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते हैं। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विक्रेता एवं क्रेता जाति के कुरमी है तथा दोनो एक ही थाना- बलियापुर, जिला- धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 3 एकड़ 40 डिसमील शेष भूमि बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
धनबाद।